

न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, शैतान सिंह राजपुरोहित R.A.S

राजस्व वाद पत्र संख्या - 148/2016

वादी :-

बनाम

प्रतिवादीगण :-

हापुराम पुत्र मंगलाराम जाति
जाट निवासी जवासियां तहसील
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

1. भबूतराम पुत्र जोगाराम
2. चैनाराम पुत्र बालूराम
3. धनाराम पुत्र बालूराम सभी
जातियान जाट निवासी मलार
तहसील भोपालगढ जिला
जोधपुर
4. तहसीलदार बिलाडा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :-

श्री ओमप्रकाश कच्छावाह वादी की ओर से
श्री रामदयाल चौधरी प्रतिवादी की ओर से

निर्णय

दिनांक : 16.03.2021

वकील वादी ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आरटी एक्ट 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश किया कि ग्राम ग्राम रियां तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नं. 520/1 रकबा 8 बीघा किस्म बी.प्रथम वादी की खातेदारी कब्जासुद स्थित है जिसको आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। सबूत में नकल जमाबन्दी सम्वत 2054 से 2057 मय खसरा गिरदावरी व ट्रेस नक्शा के वाद पत्र के साथ संलग्न पेश है। वादपत्र के पद संख्या एक में वर्णित आराजी वादी की खरीदसुदा व कब्जासुदा है जो वादी ने जरीये बैचान रजिस्ट्री दिनांक 25.10.2005 को रुपये 43,000 में ओमप्रकाश, जयकिशन, जेठाराम पीसरान जवरीलाल से खरीद की थी तथा जिसका नामान्तरणकरण संख्या 1381 वादी के हक में बाद मौका निरीक्षण स्वीकृत किया गया। वादी की खरीदसुदा कब्जासुद खातेदारी कृषि भूमि के पडौस निम्न प्रकार है दक्षिण में जोगाराम बल्लाराम की जमीन, पूर्व में मंगलाराम की जमीन (वादी के पिता की जमीन), पश्चिम में खेतों में आने जाने का रास्ता, उक्त पडौस के बीच की 8 बीघा जमीन वादी की खातेदारी कब्जासुद है। वादी के उपरोक्त पडौस के बीच की जमीन ही खरीद की जिसके पडौस बैचान रजिस्ट्री में बताये हुए है सबूत में नकल बैचान रजिस्ट्री दिनांक 25.10.05 संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी के पूर्व तरफ वाद की खातेदारी कब्जासुद जमीन ख. नं. 514 रकबा 11 बीघा 02 बिस्वा आयी हुई है जो वादी के पिता के नाम से राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज है। वादी की उक्त पैतृक जमीन ख.नं. 514 में आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं होने की वजह से वादी ने वादग्रस्त आराजी ख.नं. 520/1 रकबा 8 बीघा जमीन खरीद की जो कटाणी रास्ता के चिपती स्थित है उक्त खरीदसुदा व कब्जासुद जमीन से वादी अपने पैतृक जमीन ख.नं. 514 में आता जाता है तथा उक्त जमीन को काश्त करता आ रहा है। सबूत में स्वामित्व प्रमाण पत्र संलग्न पेश है। वादी ने वादग्रस्त आराजी ख.नं. 520/1 रकबा 8 बीघा जमीन ओमप्रकाश, जयकिशन, जेठाराम पी. जवरीलाल से खरीद की तथा उन्होंने उक्त वादग्रस्त आराजी को रामदीन पुत्र हरदेवराम ब्राह्मण से खरीद की थी चूंकि यहां पर यह लिखना भी आवश्यक

श्री अधिकारी कलक्टर
उपलब्ध अधिकारी
पीपाड़ शहर

कि मूल ख.नं. 520 रकबा 64 बीघा था जिसमें ख.नं. से पहले वादग्रस्त आराजी 8 बीघा न्य हुई जिसमें ख.नं. 520/1 हुए शेष जमीन 520 रकबा 56 बीघा 01 बिस्वा रही जो तिवादीगण सं. 1 से 3 ने खरीद की थी। वादी की वादग्रस्त आराजी के दक्षिण तरफ तिवादी सं. 1 से 3की जमीन ख.नं. 520 रकबा 56.01 बीघा स्थित है जिसका संलग्न नक्शा तरमीम किया हुआ नहीं है। इसलिए प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 वादी के कब्जा काशत में खलअन्दाजी पैदा करनी शुरू कर दी। वादी ने वादग्रस्त आराजी पर वक्त खरीद से भौतिक न्य से काबिज होकर काशत करता आ रहा है तथा वादग्रस्त आराजी में से होकर अपने तृक कृषि भूमि ख.नं. 514 में आता जाता रहा है इस वर्ष भी वादग्रस्त आराजी वादपत्र के 1द संख्या दो में वर्णित पडौस के बीच जमीन पर वादी ने काशत की व वादग्रस्त जमीन में से होकर अपने पैतृक जमीन ख.नं. 514 में काशत की लेकिन दिनांक 25.11.06 को प्रतिवादी सं. 1 से 3 ने वादी को ऐलानिया रूप से धमकी दी कि वादी को उसकी खरीदसुदा व कब्जासुद जमीन ख.नं. 520/1 रकबा 8 बीघा से प्रतिवादीगण जबरदस्ती बेदखल कर देंगे क्योंकि वादी की जमीन का नक्शा में तरमीम की हुई नहीं है तथा कटाणी रास्ता के पास प्रतिवादीगण जबरदस्ती कब्जा कर देंगे जिस पर वादी ने मना किया तथा वादी ने वादग्रस्त आराजी बाबत बैचान रजिस्ट्री बतायी जिसमें भी वादग्रस्त आराजी के पडौस अंकित है तथा माफिक पडौस के ही वक्त खरीद से वादी काबिज होने की बात कही तथा वादग्रस्त आराजी पहले खरीद होना भी बताया लेकिन प्रतिवादीगण ने वादी की एक भी नहीं सुनी एवं ऐलानिया धमकी दी कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 520/1 रकबा 8 बीघा संलग्न नक्शा में दर्शायी जमीन से वादी को प्रतिवादीगण बेदखल करके रहेंगे जबकि उनकी ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है जिसके लिए वादी को उक्त स्थायी निबंधाज्ञा का वादपत्र पेश करना पड रहा है। वादग्रस्त आराजी वादी की खरीदसुदा व कब्जासुद है तथा वक्त खरीद बैचान रजिस्ट्री में भी पडौस अंकित है तथा वादी की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 520/1 रकबा 8 बीघा संलग्न नक्शा में दर्शाये अनुसार काबिज काशत है तथा उक्त जमीन वादी ने कटाणी रास्ता से चिपटी होने व अपने पैतृक जमीन में आने जाने हेतु खरीद की इसलिए वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार घोषित फरमावे। वाद कारण बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण वाद में वर्णित तथ्यों व परिस्थितियों की वजह से तथा दि. 25.11.06 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम रियां में पैदा हुआ व आज भी हो रहा है। वादी के हक में प्रतिवादीगण के विरुद्ध घोषणात्मक खातेदारी की डिक्री सादिर फरमायी जावे कि ग्राम रियां की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी ख.नं. 520/1 रकबा 8 बीघा वादपत्र के पद संख्या दो में वर्णित पडौस के बीच स्थित है तथा संलग्न नक्शा में दर्शायी है कि वादी के कब्जा काशत उपयोग उपभोग में प्रतिवादागण किसी प्रकार की दखलअन्दाजी पैदा नहीं करे। उक्त वादग्रस्त आराजी कटाणी रास्ता के चिपटी होने से कटाणी रास्ता से होकर वादी अपनी वादग्रस्त आराजी से होकर आगे पैतृक कृषि भूमि ख.नं. 514 में आने जाने में भविष्य में बाधा उत्पन्न नहीं करे। वादग्रस्त आराजी का संलग्न नक्शा के अनुसार ट्रेस नक्शा में तरमीम किया जाने का आदेश फरमावे। अन्य अनुरोध जो हिव वादी हो वादी के पक्ष में अता फरमावे।

6
 अधिवक्ता
 उपरान्त न्यायालय


वादी के बाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये ।
 गतिवादीगण की ओर वकील गुमानराम चौधरी ने वकालतनामा प्रस्तुत किया और साथ ही
 जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादपत्र का पद संख्या एक राजस्व रेकार्ड पर
 आधारित है ग्राम रियां तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रतिवादीगण की खातेदारी
 कब्जासुद भूमि ख.नं.5220 रकबा 56 बीघा 01 बिस्वा के उत्तर पूर्वी तरफ वादी की खातेदारी
 कृषि भूमि खेत ख.नं. 520/1 रकबा 8 बीघा किस्म बी प्रथम स्थित है। वादी की उक्त
 खरीदसुदा कब्जासुद जमीन के परिचय व दक्षिण दो ग्रामक तथ्यों पर आधारित होने से
 अस्वीकार है इस पद में वादी ने अपने खेत ख.नं. 52/1 के गलत रूप से पडौंस दर्शाये है।
 जबकि वादी की जमीन के पडौंस निम्न प्रकार है— उत्तर में गेंदु खां सिन्धी की जमीन,
 दक्षिण में प्रतिवादीगण की जमीन, पूर्व में वादी के पिता की जमीन, परिचय में प्रतिवादीगण
 की खातेदारी कब्जासुद जमीन ख.नं. 520 है शेष तथ्य भी वादी ने मिथ्या अंकित किये है
 वास्तविकता यह है कि ख.नं. 520 में से 8 बीघा जमीन मूल खातेदार रामदीन पुत्र हरदेवराम
 कौम ब्राहमण ने जरीये बेचान रजिस्ट्री के ओमप्रकाश जयकिशन जेठाराम पी. ज्वरीलाल को
 बेचान कर दी थी जिस पर ख.नं. 520/1 रकबा 8 बीघा की नक्शा में ख.नं. 520 के उत्तर
 पूर्वी कोने पर तरमीम कर दी थी उसके बाद प्रार्थी ने ओमप्रकाश,जयकिशन,जेठाराम पिता
 ज्वरीलाल से उक्त जमीन खरीद की है जबकि प्रतिवादीगण ने रेल्वे लाइन व रास्ता के
 चिपते ख.नं. 520 रकबा 56 बीघा 01 बिस्वा जमीन खरीद कि है प्रतिवादीगण ने ख.नं. 520
 खरीद किया उस समय ख.नं. 520/1 रकबा 8 बीघा भूमि का टुकड़ा इस खसरा के उत्तर
 पूर्व कोने पर था जो वादी ने अपने जमीन ख.नं.514 के चिपते होने से खरीद किया था।
 प्रतिवादीगण ने रेल्वे लाइन व रास्ता के चिपती ख.नं. 520 की जमीन जरीये बेचान रजिस्ट्री
 दिनांक 12.06.89 को अलग अलग बेचाननामा के जरीये खरीद की तब से प्रतिवादगण अपनी
 खरीदसुदा व कब्जासुद जमीन पर काबिज होकर काशत करते आ रहे हैं प्रतिवादगण ने अपनी
 जमीन खरीद करने के पश्चात का नजरी ट्रेस नक्शा हल्का पटवारी रियां से दिनांक 13.07.
 89 को प्राप्त किया जिस नक्शा की फोटो प्रति जवाबदावा के साथ संलग्न पेश है। वादपत्र
 का पद संख्या तीन गलत होने से अस्वीकार है क्योंकि ख.नं. 520/1 रकबा 8 बीघा के
 चिपता पूर्व तरफ ख.नं. 514 प्रार्थी की खातेदारी जमीन आयी हुई इसलिए प्रार्थी ने अपनी
 जमीन से चिपती जमीन सुविधा हेतु खरीद कि थी। प्रार्थी द्वारा खरीदसुदा जमीन ख.नं.
 520/1 रकबा 8 बीघा का कोई भाग रास्ता से चिपता नही था ख.नं. 520/1 रकबा 8 बीघा
 के परिचय तरफ प्रतिवादीगण की खरीदसुदा व कब्जासुद खातेदारी भूमि ख.नं. 520 थी अगर
 वादी का उद्देश्य ख.नं. 514 में आने जाने रास्ता का था तो प्रार्थी अप्राथीगण से ख.नं. 520
 में से जमीन खरीद करता लेकिन प्रार्थी ने अपने पिता की खातेदारी जमीन ख.नं. 514 के
 चिपता काशत की सुविधा हेतु ख.नं. 520/1 खरीद किया जो ख.नं. 520 के उत्तर पूर्वी दिशा
 की तरफ स्थित है। लेकिन अब वादी की नियत खराब हो गयी तथा जबरदस्ती ख.नं.
 520/1 रकबा 8 बीघा में आने जाने हेतु ख.नं. 520 में से रास्ता निकालना चाहता है तथा
 प्रतिवादीगण को तंग व परेशान कर अपनी जमीन में आने जाने हेतु रास्ता निकालने पर
 उत्तारू है इसी कुचेष्टा से उक्त वादपत्र पेश किया है जो काबिल खारीज है। वादपत्र का पद
 संख्या चार गलत होने से अस्वीकार है वास्तविकता यह है कि ख.नं. 520 में से 8 बीघा
 जमीन रामदीन पुत्र हरदेवराम ब्राहमण से जरीये रजिस्टर्ड बेचाननामा के

रजिस्ट्रार
 जरीये रजिस्टर्ड
 बेचाननामा

जमीन-1, आंध्रप्रदेश, जो तारण की जयश्रीलाल ने खरीद कि थी तथा ख.नं. 520 के अन्तर्गत्त एक ख.नं. 520/1 रकबा 8 बीघा का कब्जा प्राप्त कर नयाग में तबदीप करवा दी थी उसके बाद ख.नं. 520/1 के परिचय व दक्षिण तरफ ख.नं. 520 रकबा 56 बीघा 01 बिरवा जमीन रही जिसको बेवान रजिस्ट्री दिनांक 12.06.89 को तीन अलग अलग रजिस्ट्री के जरीये प्रतिवादीगण ने खरीद की थी तब से प्रतिवादीगण का ही कब्जा कायम बला आ रहा है तथा हाल ही में दिनांक 25.10.05 को ख.नं. 520/1 वाली जमीन जो ख.नं. 514 के विपत्ती है जिसको पत्नी ने खरीद की है तथा ख.नं. 514 व 520/1 में आने जाने हेतु प्रतिवादीगण की खातेदारी कब्जासुद जमीन ख.नं. 520 में से सरता निकालने पर आपादा किसान हुए जिस पर प्रतिवादीगण ने मना किया तब उक्त मिथ्या वाद कहानी बनाकर पेश किया गया जो काबिल खारीज है। प्रतिवादीगण ने कर्तई कटाणी सरता के पास कब्जा करने की धमकी नहीं दी क्योंकि कटाणी सरता के पास विपत्ती की प्रतिवादीगण की खातेदारी कब्जासुद जमीन ख.नं. 520 आधी हुई है इसलिए प्रतिवादीगण को वादी को धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वादी ने प्रतिवादीगण की जमीन में से होकर अपने खेत ख.नं. 520/1 व 514 में आने जाने हेतु नया सरता निकालने की कुचेष्टा की जिस पर प्रतिवादीगण ने खेत के बीच में से नया सरता नहीं निकालने की बात कही व माट के पास से होकर बल्ले जाने हेतु कहा जिस पर वादी ने उक्त मिथ्या कहानी बनाकर यह वाद पेश किया। वादपत्र का पद संख्या पांच मलत होने से अरबीकार है मूल खातेदार रामदीन से ख.नं. 520/1 जयकिशन वगैरह ने खरीद किया उससे वादी ने खरीद किया था जिसमें कर्तई पड़ोस अंकित नहीं किये गये है। वादी को उक्त ख.नं. 520/1 रकबा 8 बीघा जमीन का खरीदने का एक मात्र लक्ष्य अपने पिता की खातेदारी जमीन ख.नं. 514 के विपत्ती होने से था। लेकिन कटाणी सरता से वादी के खेत ख.नं. 514 व 520/1 आने जाने हेतु सरता निकालने की नियत से उक्त मिथ्या वाद पेश किया गया है इस प्रकार वादी द्वारा पूर्व में प्रतिवादीगण की खातेदारी कब्जासुद जमीन ख.नं. 520 में से सरता निकालने की धमकी दी जिस पर प्रतिवादीगण ने ख.नं. 520 में से सरता नहीं निकालने दिया तब वादी ने योजनाबद्ध रूप से कहानी बनाकर यह वाद पेश किया है। श्रीमान न्यायालय हाजा को गुमराह करने की कुचेष्टा की है। वादपत्र का पद संख्या 66 मलत होने से अरबीकार है क्योंकि दिनांक 25.11.06 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को किसी प्रकार की धमकी नहीं दी इसलिए वादी को किसी प्रकार का वाद कारण पैदा नहीं हुआ है वाद कारण के अभाव में भी वाद काबिल खारीज के है। वादपत्र का पद संख्या सात कानूनी है। वादपत्र का पद संख्या आठ कानूनी है। वादपत्र का पद संख्या नौ इस्तदुआ वादी है जो कि वादी द्वारा संपूर्ण वादपत्र मिथ्या रूप से प्रतिवादीगण की खातेदारी कब्जासुद जमीन में से नया सरता निकालने की नियत से पहले प्रतिवादीगण को धमकी दी जिस पर प्रतिवादीगण ने अपने खेत ख.नं. 520 में से सरता निकालने से मना किया तब वादी ने एक कहानी बनाकर उक्त मिथ्या वाद पेश किया है जबकि वादी द्वारा बतायी तथा कथित कटाणी सरता के पास की जमीन पर वादी का कभी कब्जा कायम ही नहीं रहा वादी की जमीन अपने पिता की खातेदारी कब्जासुद जमीन ख.नं. 514 के विपत्ती है लेकिन अपने पिता की जमीन व वादी की खरीदसुदा जमीन 520/1 में आने जाने हेतु सरता नहीं होने की वजह से प्रतिवादीगण के खेत ख.नं. 520 में से सरता निकालने की कोशिश की जिस पर प्रतिवादीगण ने मनाकर दिया तो उक्त वाद पेश किया है ऐसे वादपत्र के जरीये वादी श्रीमान न्यायालय

हाजा से किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है वादी का वादपत्र खारीज फरमावे। काउन्टर क्लेम:-

ग्राम रियां की सरहद में वादी की खातेदारी कब्जासुद कृषि भूमि ख.नं. 520 रकबा 56 बीघा 01 बिस्वा किस्म बी प्रथम आयी हुई है जिस पर प्रतिवादी संख्या एक से तीन बतौर खातेदार के काबिज होकर काशत करते आ रहे हैं। सबूत में नकल जमाबन्दी व ट्रेस नक्शा की नकल संलग्न है। प्रतिवादीगण की उक्त जमीन कटाणी आम रास्ता के विपते पूर्व व दक्षिण तरफ व रेलवे लाइन के विपती उत्तर तरफ स्थित है। वादी की जमीन के उत्तर पूर्वी कोने की तरफ ख.नं. 514 के विपती ख.नं. 520/1 रकबा 8 बीघा जमीन वादी की खातेदारी कब्जासुद आयी हुई है जिस पर वादी काबिज काशत है। वादी अपने खेत ख.नं. 520/1 व 514 में आने जाने हेतु खेतों के माट से होकर काम में लेता आ रहा है तथा ख.नं. 520 के उत्तरी माट से होकर आता जाता रहा है। कुछ समय पहले वादी ने प्रतिवादीगण की खातेदारी कब्जासुद जमीन ख.नं. 520 के उत्तरी भाग में से होकर रास्ता निकालने की कुवेष्टा की जिस पर प्रतिवादीगण ने मना कर दिया कि प्रतिवादीगण खातेदारी कब्जासुद जमीन ख.नं. 520 में से किसी प्रकार का रास्ता नहीं निकाले आप माट के सहारे जाते हैं उसी प्रकार चलते रहो जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण की खातेदारी कब्जासुद जमीन ख.नं.520 के उत्तरी भाग से जबरदस्ती रास्ता निकालने की धमकी दी लेकिन कामयाब नहीं हुआ तथा फिर दिनांक 18.12.06 को उक्त मिथ्या वाद श्रीमान न्यायालय हाजा में पेश कर प्रतिवादीगण की खातेदारी कब्जासुद जमीन ख.नं. 520 के उत्तरी भाग को अपनी जमीन बताकर यह वाद पेश कर दिया तथा इस वाद व प्रार्थना पत्र की आड में प्रतिवादीगण की खातेदारी कब्जासुद जमीन ख.नं. 520 के उत्तरी भाग पर जबरदस्ती कब्जा करने की फिस्क में है। वादी ने यह जमीन ओभपकाश,जयकिशन,जोठाराम पी. जवरीलाल से खरीद की है तथा उनकी ख.नं. 514 विपती उक्त ख.नं. 520/1 रकबा 8 बीघा जमीन थी व ख.नं. 520/1 के पश्चिम में प्रतिवादीगण की खातेदारी जमीन ख.नं. 520 आम रास्ता के विपती थी चूंकि कटाणी रास्ता के विपती ख.नं. 520 आम रास्ता की जमीन है जिस पर प्रतिवादीगण संख्या एक से तीन का भौतिक कब्जाकाशत चला आ रहा है चूंकि कटाणी रास्ता के पास न तो ख.नं.520/1 की जमीन थी न जवरीलाल वगैरह का कमी कब्जा रहा न वादी का है वादी अपने खेत ख.नं. 520/1 व 514 में आने जाने हेतु रास्ता निकालने की नियत से पहले प्रतिवादीगण को धमकी दी तथा उससे भी रास्ता हासिल नहीं होने पर प्रतिवादीगण की जमीन हड़प करने की नियत से उक्त वाद पेश किया है इस प्रकार वादी प्रतिवादीगण की जमीन ख.नं. 520 के उत्तरी भाग पर नाजायज रूप से कब्जा करने व रास्ता निकालने पर आमादा है जिन्हें ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है जिन्हें न्यायहित में रोका जाना आवश्यक है। अगर दौराने वाद वादी वाद पत्र की आड में प्रतिवादीगण की कब्जासुद खातेदारी जमीन ख.नं. 520 के उत्तरी भाग पर नाजायज कब्जा कर लेता है तो उसे हटायें जाने का आदेश फरमावे। प्रतिवादीगण को अन्देशा है कि वादी अब प्रतिवादीगण की खातेदारी कब्जासुद जमीन ख.नं. 520 के उत्तरी भाग पर रास्ता के विपता कब्जा कर सकता है जिसके लिए प्रतिवादीगण को उक्त काउन्टर वाद पेश करना पड़ रहा है। प्रतिवादीगण को वाद कारण तब पैदा हुआ जब वादी द्वारा अपने खेत ख.नं. 520/1 व 514 में आने जाने हेतु कटाणी रास्ता से प्रतिवादीगण की खातेदारी कब्जासुद जमीन ख.नं. 520 में से रास्ता निकालने की धमकी देने एवं वादपत्र दिनांक 18.12.06 को पेश करने करने पर बमुकाम रियां में पैदा हुआ व आज भी हो रहा है।



वाद में दावा, जवाब दावा, व जवाब दस्तावेज वगैरह प्रस्तुत किए गये जिसके अनुसार
वाद में निम्न तनकीयात तय किए गए:-

- (1) आया वाद पत्र के पद संख्या दो वर्णित पाङ्गोसियान की कृषि भूमि खसरा नम्बर 520/1 रकबा 8 बीघा वादी के कब्जे काशत की आयी हुई है ।
(जिम्मे - वादी)
- (2) आया वादपत्र के पद संख्या दो में वर्णित पाङ्गोसियान की कृषि भूमि खसरा नम्बर 520/1 रकबा 8 बीघा भूमि का वादी खातेदार काशतकार घोषित होने का अधिकारी है ।
(जिम्मे - वादी)
- (3) आया वादग्रस्त आराजी हेतु वादी, प्रतिवादीगण के विरुद्ध रथाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ।
(जिम्मे - वादी)

(4) अनुतोष

(जिम्मे - वादी)

- (5) आया प्रतिवादीगण की प्रतिवादीगण की खातेदारी कब्जापुद जमीन खसरा नम्बर 520 जो कटाणी रास्ता के चिपती है पर वादी किसी प्रकार की दखलन्दानी पैदा नहीं रके न कब्जा करने की चेष्टा करे, अगर वादी ने दोराने वाद प्रतिवादीगण की जमीन खसरा नम्बर 520 जो कटाणी रास्ता के चिपते है पर जबरन कब्जा कर लिया हो तो उसे हटाये जाने का आदेश फरमावे ।
(जिम्मे - प्रतिवादी)

(जिम्मे - प्रतिवादी)

वादीगण की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादीगण हापुराम, आलीज खां, जगदीश गिरी, का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये है। वकील वादी ने अपने समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये

1. बैचान रजिस्ट्री EXP 1 A
2. जमाबन्दी सम्वत् 2054 से 2057 EXP 2
3. खसरा गिरदावरी 2058 से 2061 EXP 3
4. नामान्तरकरण ग्राम रिया EXP 4
5. नामान्तरकरण ग्राम रिया EXP 5
6. जमाबन्दी सम्वत् 2054 से 2057 EXP 6
7. नक्शा ट्रेस EXP 7
8. जमाबन्दी सम्वत् 2054 से 2057 EXP 8
9. खसरा गिरदावरी 2058 से 2061 EXP 9
10. नक्शा ट्रेस EXP 10
11. जमाबन्दी सम्वत् 2054 से 2057 EXP 11
12. प्रमाण पत्र हल्का पटवारी EXP 12

इसी प्रकार वकील प्रतिवादी ने अपने समर्थन मे दस्तावेज प्रदर्श कराये जिसमें

1. विकय पत्र EXD 1 A
2. विकय पत्र EXD 2 A
3. विकय पत्र EXD 3 A
4. विगोडी रसीद EXD 4 A
5. नकल नामान्तरकरण ग्राम रिया EXD 5 A
6. नजरी नक्शा ट्रेस EXD 6 A
7. जमाबन्दी सम्वत् 2042 से 2045 EXD 7 A
8. खसरा गिरदावरी EXD 8 A

सहायक कमिश्नर, ए
खसरा वकिली
जिला माला (नया)

कील प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य में भभुतराम, सुरजाराम, गुणेशराम के साक्ष्य गण्य पत्र पेश किये गये । बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी एवं पत्रावली पर उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का गठन अवलोकन एवं अध्ययन किया गया । इस न्यायालय का तनकीवार विवेचन किया गया । जिसमें वकील वादी तनकीयात के बन्दुओ को अपने पक्ष में सिद्ध करने में असफल रहे ।

इमने बहस वकुलाय सुनी, वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र के बिन्दुओ को फिर से दोहराते हुए निवेदन किया है कि ग्राम रियां के खसरा नम्बर 520/1 रकबा 8 बीघा आयी हुई है दिनांक 21.06.1966 को रामदीन पुत्र हरदेव, जवरीलाल पुत्र रामरख को 8 बीघा बेचान की जो 90 रूपये के स्टाम्प पर बेचान की थी, जिस पर म्यूटेशन मरा गया । स्पष्ट पडौस खोले गये जवरीलाल फौत हो गये जिनके ओमप्रकाश, जयकिशन, जेताराम तीनो से खरीद दस्तावेज 25.10.2005 है । खरीददार हापुराम पुत्र मंगलाराम, बेचाननामे 520/1, अडौस पडौस जमीन के पश्चिम में कटाणी रास्ता, हमारा मकसद जमीन के पूर्व में पडी जमीन उसमें आने जाने का रास्ता मिल जावे । दस्तावेज के अनुसार बट्टा नम्बर की तरमीम कर दी दावे के पेश होने के बाद तरमीम पेश की गयी । दोनो बेचानो में पडौस में आ जा रहे है । प्रतिवादी भी 520 का खरीददार है जिसके पुरी पुरी खरीद ली, तरमीम नहीं होने से मेरे पूर्व वाले के खेत के सहारे-सहारे तरमीम की कोशिश की । इस दस्तावेज में टेम्परली करके डिस्पोस की कोशिश की । तरमीम के अनुसार पजेशन है । दावा पेश किया साथ ही 212 का प्रार्थना पत्र दिया । तत्पश्चात् नक्शे में तरमीम जलग्रहण योजना जल कुड सरकारी मदद से बनाया । साक्ष्यो से फोटोग्राफ्स पेश कराये । बयानो में स्पष्ट है, रेवेन्यु रेकॉर्ड स्पष्ट है, तरमीम व पजेशन एक स्थान पर है । प्रतिवादीगण खुद काशत नहीं करते, मेरे कब्जे में दखलन्दाजी नहीं करें । अतः वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादी के हक में प्रतिवादीगण के विरुद्ध घोषणात्मक खातेदारी की डिक्री सादिर फरमायी जाकर ग्राम रियां के राजस्व खसरा नम्बर 520/1 रकबा 8 बीघा का खातेदार है । वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री फरमायी जाकर ग्राम रियां के खसरा नम्बर 520/1 रकबा 8 बीघा में पडौस के बीच स्थित है संलग्न नक्शे में दर्शाया है कि वादी के कब्जा काशत एवं उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नहीं करने । उक्त वादग्रस्त आराजी कटाणी रास्ता के चिपते होने से कटाणी रास्ते से होकर वादी अपनी वादग्रस्त आराजी से होकर आपने पैतृक कृषि भूमि खसरा नम्बर 514 में आने जाने में भविष्य में बाधा उत्पन्न नहीं करें । एवं वादग्रस्त आराजी का संलग्न नक्शे अनुसार ट्रेस नक्शा में तरमीम किये जाने का आदेश फरमाने का निवेदन किया है । इसी प्रकार वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि 88, 188 आर.टी. एक्ट के तहत घोषणा खातेदारी करवाना चाहते है । 131 एल.आर.एक्ट तरमीम हेतु । दावा पोषणीय नहीं है । प्रदर्श 2 रजिस्ट्री है । जिसमें पडौस लिखे है पश्चिम में रेल्वे लाईन रास्ता, उत्तर में आम रास्ता पूर्व तरफ खसरा नम्बर 514, 532, 531, 530,

दक्षिणी तरफ 521, 530, दिनांक 12.06.1989 तीनी का खरीद की गयी है । 1989 का नक्शा 13.07.89 प्रदर्श 6 के अनुसार कब्जे काशत में दखल नहीं करें । सारे दस्तावेजी सबूत प्रदर्श किये गये है । प्रदर्श 6 में प्रतिवादीयो का कब्जा है । काउन्टर क्लेम को स्वीकार कर हमारे कब्जे में दखल-न्दाजी नहीं करें । प्रदर्श 6 के अनुसार इनका दावा पोषणीय नहीं है । वाद पत्र को खारिज फरमावे एवं काउन्टर क्लेम को स्वीकार किया जावे । प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट को फौसला के पूर्व कन्प्रीडर फरमाये जाने का निवेदन किया है एवं वादी का वाद पत्र खारिज फरमाया जाकर प्रतिवादी सं. 1 से 3 का काउन्टर वाद स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण के पक्ष में वादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावे कि वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 520 जो कटाणी रास्ता के चिपती है पर वादी किसी प्रकार की दखल-न्दाजी पैदा नहीं करें न कब्जा करने की चेष्टा करें । अगर वादी ने दोराने वाद प्रतिवादीगण की जमीन खसरा नम्बर 520 जो कटाणी रास्ता के चिपती है पर जबरन कब्जा कर लिया हो तो उसे हटाये जाने का आदेश फरमाने का निवेदन किया है ।

हमने बहस वकूलाय सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजो का अवलोकन किया गया तथा वकूलाय की बहस पर मनन किया गया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है । वर्तमान में खसरा नम्बर 520/1 की जो दोराने वाद तरमीम की गयी है, तहसीलदार पीपाड़ शहर उसका पूर्णरूपेण परीक्षण करें । वादी एवं प्रतिवादी एकदूसरे के कब्जा काशत में दखल-न्दाजी नहीं करें । तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादी द्वारा कीत (खरीदी) भूमि के पंजीकृत दस्तावेजो में अभिलिखित अडौंस पडौंस की दिशाओ अनुसार तरमीम शुद्धि कर पालना रिपोर्ट पेश करें । अगर पंजीकृत दस्तावेजो में अडौंस पडौंस विरोधीभाषी होने पर वर्तमान कब्जा काशत एवं मूल खातेदार द्वारा विकीत भूमि के अनुसार तरमीम दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है । इसी अनुसार मूल डिक्ली जारी किये जाने का पर्वा मुर्तिब हो ।

(शैतानासिंह मजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 16.03.2021 को कोर्ट में लिखवाया जाकर मजमेअम्न सुनाया गया । फौसल शुमार होकर जाब्जा दाखिल दफतर हो ।

(शैतानासिंह मजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)

पीपाड़ शहर